SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
April – June 2026
E-ISSN 3048-7323

Vol-3
Issue-2

दहेज निषेध अधिनियम का समालोचनात्मक विश्लेषण

अर्चना दुबे
सहायक प्राध्यापक
समाजशास्त्र विभाग
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.)

शोध सारांश

दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति जो समाज के लिए अभिशाप बन चुकी थी सरकार के द्वारा दहेज प्रथा सेसंबंधित सर्वप्रथम कानून बना अखिल भारतीय विधायी अधिनियम दहेज निषेध अधिनियम 1961 बना जो कि 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ। परंतु दहेज के विरुद्ध कानून इतना प्रभावशाली नहीं होने के कारण 1983 में भारतीय विधायी अधिनियम की धारा 498A लागू की गई। जिसका पिछले एक दशक से दुरुपयोग बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप दुसरे पक्ष को अत्यधिक नुकसान एवं पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित अनेक मामलों मे कठोर प्रावधान एवं सबूतों के अभाव मे जिला अदालत मे मामले लंबित पड़े रहते हैं। जिससे द्वितीय पक्ष को आर्थिक, सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिकायतकर्ता महिला इस समस्या की परवाह किये बिना पति पर भरण-पोषण जैसे अन्य अतिरिक्त अधिकारों का दावा करते हुए वित्तीय बोझ डालने मे भी नहीं हिचकती है। महिलायें दहेज निषेध कानून दुरुपयोग करते हुए पति के संबंधी जैसे माता-पिता, भाई-बहन और रिश्तेदारों पर भी क्रूरता का आरोप लगा सकतीं हैं, जिसमें बिना पर्याप्त जांच के शर्त के तुरंत गैर जमानती शर्त के साथ जेल भेज दिया जाता है। एन सी आर बी की रिपोर्ट को देखा जाए तो दहेज निषेध संबंधी विभिन्न धाराओं मे अपराध सिद्ध होने की स्थिति मे विगत एक दशक मे 498A के मामलों मे अपराध सिद्ध होने की दर सबसे कम है, परंतु निचली अदालत मे लंबित मामलों की संख्या अधिक है। जिसका नुकसान पति और उसके परिजनों को भुगतना पड़ता है।

बीज शब्द

दहेज प्रथा, भारतीय विधायी अधिनियम, दुरुपयोग, क्रूरता, उत्पीड़न, अवसाद, न्याय।

SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
April – June 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-2

प्रस्तावना

विगत कुछ वर्षो से भारतीय दंड संहिता के दहेज निषेध प्रावधान के दुरुपयोग से प्रश्न चिन्ह लग जाता है जो की विशेष रूप विवाहित महिला को दहेज प्रथा मे होने वाली क्रूरता से बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 की 498A धारा का मुख्य उद्देश्य महिला पर उसके पति या परिजनों द्वारा की जाने वाली क्रूरता पर अंकुश लगाना एवं उस पर त्वरित हस्तक्षेप करके उसे रोका जा सके। परंतु विगत एक दशक मे इस प्रावधान के दुरुपयोग की प्रवृत्ति बढ़ रही है। जिसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता (महिला) के पति एवं परिजनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। प्रस्तुत अध्ययन दहेज प्रथा निषेध कानून के दुरुपयोग से समाज मे पड़ने वाले प्रभाव पर केंद्रित है जिसकी हमेशा उपेक्षा की जाती है। हमारे देश मे निचली अदालतें प्रायः सुनवाई की तारीख देकर अपना दायित्व पूरा कर रही हैं और इस देरी का खामियाजा आरोपित पति और उसका परिवार भुगत रहा होता है दोष सिद्ध हुए बिना जीवन बर्बाद हो जाता है। इस शोध पत्र का उद्देश्य आरोपित पति, उसके परिवार एवं समिलित किये गए रिश्तेदरों को दोष सिद्ध हुए बिना ही होने वाली सामाजिक, आर्थिक, हानि का आँकलन व विश्लेषण करना है जो कि निचली अदालत मे लंबे समय से लंबित हैं।

उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन को निम्न उद्देश्यों से किया गया है-

1. दहेज निषेध अधिनियम का दहेज प्रथा पर प्रभाव का अध्ययन।
2. दहेज निषेध अधिनियम के दुरुपयोग का सामाजिक प्रभाव।
3. दहेज निषेध अधिनियम के अंतर्गत लंबित केसों के प्रभाव का विश्लेषण।

शोध प्रविधि

दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा 1983 मे धारा संपत्ति संविधान मे जोड़ा गया। इस अधिनियम से संबंधित अध्ययन हेतु द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया जिसमे पुस्तकें, शोध पत्र, आलेख एवं विभिन्न वेबसाइट प्रमुख हैं। द्वितीयक स्रोत के माध्यम से व्यक्तिगत अध्ययन किया गया।

वैधानिक प्रावधान

भारत मे दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को काम करने के उद्देश्य से 80 के दशक मे दोनों सदनों की संयुक्त समिति का गठन किया गया। जिसमे दहेज निषेध अधिनियम 1961 के क्रियान्वयन का अध्ययन किया गया। जिसमे दहेज उत्पीड़न एवं दहेज हत्याओं को नियंत्रित करने के लिए आई पी सी 1961 मे एक और धारा 498A जोड़ दी गई जो महिलाओं के उत्पीड़न से संरक्षण हेतु सराहनीय प्रयास है। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी विवाहित महिला को उसके पति एवं पति के रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता पर तीन साल की सजा और जुर्माने का भी प्रवधान है। यहाँ 'क्रूरता' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित लिया गया है। इसमे महिला को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक हानि पहुँचाना संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के उद्देश्य से उत्पीड़न इत्यादि कृत्य करना दहेज उत्पीड़न की इस धारा के अंतर्गत आता है, इस धारा के दुसरे भाग मे महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित करना भी उत्पीड़न एवं क्रूरता कहलाता है। यद्यपि 2023 मे भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू हुई जिसमे धारा 498A को सीधेसीधे हटाया नहीं गया-, बल्कि नए सेक्शन Section 85, 86 आदि में शामिल किया गया है। नए प्रावधान में "पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला पर क्रूरता" को उसी तरह अपराध माना गया है। सज़ा भी पहले जैसी ही है, 3 साल तक कैद एवं जुर्माना।

क- जानबूझ कर किसी भी प्रकार का आचरण जिसमे महिला को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया हो, महिला को शारीरिक, मानसिक या उसके जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा होने की संभावना हो या

ख- विवाहित महिला के साथ इस प्रकार की क्रूरता या उत्पीड़न जिसमे उसे या उसके किसी संबंधी को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की अवैध मांग को पूरा करने के लिए मजबूर किया गया हो या उसके द्वारा या उसके किसी रिश्तेदार के द्वारा की गई मांग की विफलता पर उत्पीड़न इस धारा के अंतर्गत आता है।

दहेज निषेध अधिनियम का दहेज प्रथा पर प्रभाव

भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, जिसे दहेज विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है, का दहेज प्रथा पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य विवाहित महिलाओं को उनके पति और ससुराल वालों द्वारा की जाने वाली क्रूरता और उत्पीड़न से बचाना है, जो अक्सर दहेज की मांग से जुड़ा होता है। इस अधिनियम ने कई महिलाओं को दहेज संबंधी प्रताड़ना के खिलाफ कानूनी सहारा प्रदान किया है, जिससे उन्हें अपनी शिकायतें दर्ज कराने और न्याय मांगने का एक शक्तिशाली साधन मिला है। इसके परिणामस्वरूप, कुछ सकारात्मक एवं कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले जो इस प्रकार हैं-

सकारात्मक प्रभाव

1. **महिलाओं का सशक्तीकरण:** इस कानून ने लाखों महिलाओं को एक शक्तिशाली कानूनी हथियार दिया है। इसने उन्हें अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने और न्याय की मांग करने का साहस प्रदान किया है।
2. **कानूनी सुरक्षा:** इसने महिलाओं को घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ एक ठोस कानूनी ढाँचा प्रदान किया है। इससे पहले, इस तरह के मामलों को अक्सर पारिवारिक मामला मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता था।
3. **निवारक भूमिका:** गिरफ्तारी और सजा के डर ने कई परिवारों को दहेज की मांग करने और बहू के साथ क्रूरता करने से रोका है। इसने समाज में एक निवारक के रूप में काम किया है, जिससे दहेज प्रताड़ना के मामलों में कुछ कमी आई है।
4. **जागरूकता में वृद्धि:** इस कानून के बनने और इसके उपयोग ने दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसे मुद्दों पर सामाजिक जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

नकारात्मक प्रभाव

अधिनियम के प्रभाव का दूसरा पहलू इसके दुरुपयोग से जुड़ा है। कई मामलों में यह देखा गया है कि इस कानून का इस्तेमाल व्यक्तिगत बदला लेने या ससुराल पक्ष पर दबाव बनाने के लिए एक हथियार के रूप में किया गया है।

1. **कानूनी आतंकवाद:** भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर इस धारा के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और इसे "कानूनी आतंकवाद" (Legal Terrorism) की संज्ञा दी है।
2. **निर्दोषों की गिरफ्तारी:** चूंकि यह एक गैर-जमानती अपराध है, इसलिए शिकायत दर्ज होते ही पति और उसके पूरे परिवार (बुजुर्ग माता-पिता, बहनें आदि) को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था, भले ही वे निर्दोष हों।
3. **समझौते की गुंजाइश कम:** यह एक गैर-शमनीय (Non-Compoundable) अपराध है, जिसका अर्थ है कि एक बार शिकायत दर्ज होने के बाद दोनों पक्ष आसानी से समझौता नहीं कर सकते, जिससे सुलह की संभावना खत्म हो जाती है।

दहेज निषेध अधिनियम सांख्यिकी

राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के अनुसार धारा 498A के अनर्गत दर्ज मामलों की संख्या, जिसमे धारा 304B के तहत दहेज हत्या के मामले भी शामिल हैं, इस प्रकार है-

तालिका : विभिन्न वर्षों मे पंजीकृत मामलों की संख्या –

क्र.सं .	वर्ष	धारा 498A	304 B
1	2015	113548	7646
2	2016	110434	7628
3.	2017	107458	7838
4.	2018	104165	7277
5.	2019	126575	7162
6.	2020	112292	7045

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), http://ncrb.gov.in/

प्रस्तुत तालिका के आधार पर कहा जा सकता है की 498A के अंतर्गत दर्ज मामलों की संख्या प्रतिवर्ष कमी रही है। जबकि 2019 मे अधिक मामले दर्ज किये गए थे। इनमे से दहेज

निषेध अधिनियम 498A के 150 एवं 100 मामले 304B दहेज हत्या के शामिल है जो सर्वोच्च न्यायलय मे अपील किये गए। जिनमें 75 मामलों का विश्लेषण करने पर पाया गया की 75 मे 18 केस केवल 498A दहेज उत्पीड़न एवं क्रूरता से संबंधित थे जबकि 57 मामलों मे 304B दहेज हत्या के अंतर्गत आरोपित थे। सर्वोच्च न्यायालय ने 75 मे से मात्र 32 को दोषी ठहराया और 43 आरोपियों को बरी किया गया जिसका तात्पर्य यह है की 57.33 प्रतिशत दोषमुक्त हुए और 42.66 दोष सिद्ध की दर है।

न्यायलय मे लंबित मामलों का विश्लेषण

न्याय के लिए निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा लड़ने की अवधि का हिसाब लगाने पर पता चलता है की कम से कम पाँच साल तो निचली अदालत मे मुकदमा मे ही निकाल दिया जाता है। उस पर दहेज मांगने का आरोप साथ ही क्रूरता का आरोप जब लग जाता है तो उस व्यक्ति और उसके परिवार का जीवन नरक बना दिया जाता है। अधिनियम के अंतर्गत शिकायत करने पर बिना किसी विशेष सबूत के गैर जमानती शर्त पर आरोपी पति और आरोपित दूर के रिश्तेदारों को भी तुरंत जेल भेज दिया जाता है। जिससे उसके परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा तो धूमिल होती ही है साथ ही उसकी व्यक्तिगत छवि खराब होने से उसे आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। व्यक्ति पहले कैसा भी हो परंतु एक बार झूठे दहेज उत्पीड़न के कलंक लगने से पति और उसके परिवार को सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से जो कष्ट सहन करना पड़ता है उसकी भरपाई नहीं हो पाती। उपर्युक्त अधिनियम के तहत सजा काट रहीं महिलाओं पर अध्ययन से चला की उनमें से ज्यादातर का दहेज संबंधी अपराध से कोइ लेना देना नहीं था, जिसकी वजह से वे सजा काट रहीं थी। इस प्रकार के मामले मे सुप्रीम कोर्ट मे अपील करने पर लंबे समय तक केस चलते रहते है और बाद मे ये आरोपमुक्त हो कर बरी हो जाते हैं। इन लोगों को जो सामाजिक और मानसिक पीड़ा झेलना पड़ी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अदालत, प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था या फिर पक्षकार। अदालत मे सबसे लंबी अवधि यानि 20-25 साल तक मुकदमा चल जाता है, इस लंबी अवधि मे कितनी मानसिक, आर्थिक और शारीरक प्रताड़ना के साथ सफर तय करना पड़ता है।

व्यक्तिगत अध्ययन

देश मे 498A अधिनियम के दुरुपयोग से संबंधित मामलों का द्वितीयक स्रोत के माध्यम से कुछ केस स्टडी की गई, जो इस प्रकार हैं

- **दारा लक्ष्मी नारायण एवं अन्य बनाम तेलंगाना राज्य**

तेलंगाना राज्य मे एक पति के द्वारा तलाक की मांग करने के बाद पत्नी ने अपने पति एवं ससुराल के विरूद्ध क्रूरता एवं दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया गया। पति एवं उसके परिजनों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय मे अपील किये जाने पर न्यायमूर्ति बी. वी नगरत्ना और न्यायमूर्ति कोटिशवर सिंह की पीठ ने इस प्रावधान के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ की गई कार्यवाही पर रोक लगाई और न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँच कि पत्नी व्यक्तिगत बदला लेने और वैवाहिक विवादों मे व्यक्तिगत प्रतिशोध के रूप मे इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा रहा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498A को तलाक की याचिका के विरूद्ध प्रतिवाद के रूप मे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।

- **प्रीति गुप्ता एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य**

उपर्युक्त मामले मे शिकायतकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 406, 341, 323 और 120-बी के साथ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत अपने पति एवं उसके सगे संबंधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया, जिसमे अपने पति, सास, ससुर, अविवाहित देवर और विवाहित ननद को भी शामिल किया। यह केस पहले रांची के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसके उपरांत रांची उच्च न्यायालय में अपील की गई।अपीलकर्ता की ननद ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर की।सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि रांची में, जहाँ शिकायतकर्ता के पति का परिवार रहता है, उत्पीड़न का कोई मामला नहीं है, इसके अतिरिक्त यह जोड़ा मुंबई में अकेला रहता था। इस केस में, अदालत ने पाया कि क्रूरता या उत्पीड़न से जुड़ी घटनाएँ मुंबई में हुईं जहाँ शिकायतकर्ता और उसका पति रहते हैं। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता के ससुरालवालों पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं अतः उन्हें दोषी साबित नहीं किया जा सकता।

अधिनियम के दुरुपयोग के दुष्प्रभाव

1. **अवसाद और चिंता:-**झूठे आरोप या कानूनी उत्पीड़न गंभीर मनोवैज्ञानिक संकट पैदा कर सकते हैं, जिससे विश्वासघात, असहायता और दीर्घकालिक चिंता की भावना व्यक्ति पैदा हो सकती है।
2. **सामाजिक कलंक-:** कानूनी उत्पीड़न या झूठे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों को दोषी या अपराधी के रूप में कलंकित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें परिवार, दोस्तों और सामाजिक संपर्कों से भी अलगथलग कर दिया जाता है।-
3. **दमित भावनाएं-:** पुरुषों से दृढ़ और लचीला होने की सामाजिक अपेक्षाएं उन्हें अपनी कमजोरी व्यक्त करने या सहायता मांगने से रोकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनमे आंतरिक संकट और बिगड़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जातीं हैं। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते।
4. **वैवाहिक आत्महत्या दर:-**एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता हैं कि विवाहित पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं की तुलना में काफी अधिक बढ़ रही है, जिसका कुछ हद तक कारण कानूनी और सामाजिक चुनौतियां हैं।
5. **वित्तीय बोझ-:** कई पुरुषों के लिए कानूनी फीस का बोझ , रोजगार की संभावित हानि वित्तीय रूप से हानिकारक हो जाती है। इस प्रकार वे वित्तीय बोझ तले दबते चले जाते है जिससे निकालना आसान नहीं होता।

निष्कर्ष

महिलाओं की गरिमा और उनकी सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधानों का दुरुपयोग वाकई निंदनीय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 304बी के अंतर्गत दहेज मृत्यु की धारणा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113बी के साथ स्पष्ट बताया गया है कि, यदि किसी महिला की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के अंदर हो जाय, परिस्थितियों सामान्य न हो तो दहेज के लिए उत्पीड़न की क्रूरता सिद्ध हो जाती है, तो मृत्यु को दहेज मृत्यु माना जाएगा। इसका अर्थ है कि पूरी तरह से पीड़िता की गवाही के आधार पर कानून का दुरुपयोग किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 498A अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85

के अंतर्गत आ गई है बस नंबर बदला गया है और कुछ विशेष बदलाव नहीं किया गया है। कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि लड़की अपने पूर्व संबंधों को बनाए रखना चाहती थी लेकिन उसे अपने माता-पिता के दबाव में विवाह कर लिया। विवाह के बाद वह निर्वाह नहीं कर पाती और वह विवाह के बंधन से मुक्त होना चाहती है, इसलिए वह दहेज विरोधी कानूनों को ढाल की तरह उपयोग करती है। सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने कहा कि इस प्रकार के मामलों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि धारा 498ए को शामिल करने का उद्देश्य मुख्य रूप से दहेज के रूप में किसी संपत्ति की अवैध मांग के कारण ससुराल में क्रूरता का शिकार होने वाली महिलाओं की सुरक्षा करना है।

सुझाव

इस प्रावधान के लगातार बढ़ते दुरुपयोग से संबंधित संभावित समाधान क्या होना चाहिए। सबसे पहले, जो पहला कदम उठाने की आवश्यकता है, वह है मामलों का त्वरित निपटारा। आपराधिक मामलों की सुनवाई, विशेष रूप से गंभीर प्रकृति के मामलों की, अपराध की गंभीरता के आधार पर अक्सर 8 से 10 साल या उससे अधिक समय तक चलती है। हालाँकि, यह सुनिश्चित करने के लिए एक त्वरित सुनवाई अत्यंत आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए के अंतर्गत आरोपी निर्दोष पीड़ितों को समय पर न्याय मिले। इसलिए, न्यायपालिका के लिए यह अनिवार्य है कि वह न केवल प्रभावशीलता सुनिश्चित करे, बल्कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए/ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के अंतर्गत मामलों में परीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने को भी प्राथमिकता दे। दूसरा, संविधान संशोधन द्वारा एक ईमानदार प्रयास किया जाना चाहिए कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498ए/ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के तहत पुलिस बिना ठोस जाँच के गिरफ्तारी न करे, हर केस में नोटिस देकर पूछताछ पहले हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि “सामान्य और अस्पष्ट आरोप” पर पूरा परिवार केस में नहीं घसीटा जा सकता। तीसरा, न्यायालय को झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्तियों पर दंड लगाने और कड़ी कार्रवाई करने पर विचार करना चाहिए। निवारक उपाय लागू करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे उपायों के अभाव में इस धारा के अंतर्गत मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। मामलों की बढ़ती संख्या की इस बढ़ती बुराई को रोकने हेतु, और 34 वर्षीय अतुल

सुभाष जैसे किसी अन्य व्यक्ति को दुखद अंत का सामना करने से रोकने के लिए, हमारे देश की अदालतों को इस प्रावधान के इस प्रकार के दुरुपयोग से उत्पन्न खतरे को समाप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

संदर्भ सूची

1. https://www.ijlmh.com/wp-content/uploads/2019/09/a-study-on-misuse-of-section-498a-of-indian-penal-code-1860.pdf
2. https://bhimsenadvocate.wordpress.com/2013/02/20/suggestions-to-government-of-india-for-amendment-in-section-498a-of-ipc.
3. https://indiankanoon.org/doc/538436/
4. https://lawtimesjournal.in/dowry-cruelty-and-dowry-death
6. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), http://ncrb.gov.in/
7. सिंह, अवतार, साक्ष्य विधि के सिद्धांत (सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 2016)।
8. https://rjhssonline.com/HTMLPaper.aspx?Journal=Research%20Journ